रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28022024-252475 CG-DL-E-28022024-252475

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 895]	नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 28, 2024/फाल्गुन 9, 1945
No. 895]	NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 28, 2024/PHALGUNA 9, 1945

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2024

का.आ. 940(अ).—केंद्रीय सरकार, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 31 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के कतिपय उपबंध, जैसा कि सारणी 1 और सारणी 2 के स्तंभ संख्या (2) में विनिर्दिष्ट है, यथास्थिति वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं या वित्तीय संस्थानों पर, उक्त सारणियों के स्तंभ संख्या (3) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे परिवर्तनों सहित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के मामले में भी लागू होंगे, अर्थातु:

सारणी 1 विशेष आर्थिक जोन अधिनियम. 2005

क्र.सं.	धारा	परिवर्तन
(1)	(2)	(3)
1.	धारा 12 की उप-धारा (6)	धारा 12 में, उप-धारा (6) के पश्चात, निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की
		जाएगी, अर्थात्:

1367 GI/2024 (1)

		(7) "इस धारा में अंतब्रिष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, यदि किसी इकाई को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा मान्यता, रजिस्ट्रीकरण, लाइसेंस या प्राधिकार की आवश्यकता होती है तो उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के सिवाय, इस धारा के अधीन विकास आयुक्त की शक्तियों और कृत्यों का निर्वहन अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा "प्रशासक (आईएफएससीए) " के रूप में नामित किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
2.	धारा 13 की उप-धारा (2) का खंड (च)	धारा 13 की, उपधारा (2) में, खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- 'परन्तु अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण द्वारा किसी भी इकाई को मान्यता, रजिस्ट्रीकरण, लाइसेंस या प्राधिकार की आवश्यकता होती है तो धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अनुमोदन समिति का अध्यक्ष "प्रशासक (आईएफएससीए)" होगा।'।
3	धारा 15 की उपधारा (1), उपधारा (2)और उपधारा(9)	धारा 15 में, (क) उपधारा (1) में, परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- 'परन्तु यह और कि कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई इकाई स्थापित करने का आशय रखता है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा मान्यता, रजिस्ट्रीकरण, लाइसेंस या प्राधिकार की आवश्यकता होती है तो वह "प्रशासक (आईएफएससीए)" को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। '। (ख) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- " परन्तु उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन प्राप्त ऐसे किसी भी प्रस्ताव को अनुमोदन समिति के पास उसके अनुमोदन के लिए भी भेजा जाएगा। (ग) उपधारा (9) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:- " परन्तु प्रशासक (आईएफएससीए) उप-धारा (3) में निर्दिष्ट प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात, संबंधित व्यक्ति को किसी भी ऐसी इकाई को स्थापित करने और उसके प्रचालन का अनुमोदन दे सकता है, जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा मान्यता, रजिस्ट्रीकरण, लाइसेंस या प्राधिकार की आवश्यकता होती है: परन्तु यह और कि ऐसी इकाइयों के संबंध में सुसंगत जानकारी प्रशासक (आईएफएससीए) द्वारा एसईजेड के विकास आयुक्त के साथ मासिक आधार पर या समय-समय पर जब भी आवश्यक हो, साझा की जाएगी।

सारणी 2 विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006

क्र.सं.	नियम	परिवर्तन
(1)	(2)	(3)
1.	नियम 17 का उप-नियम (1)	नियम 17 में, उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया

		जाएगा, अर्थात्:-
		" परन्तु , जब किसी इकाई की स्थापना के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र
		प्राधिकरण की मान्यता, रजिस्ट्रीकरण, लाइसेंस या प्राधिकार की आवश्यकता होती
		है तो इस संबंध में आवेदन प्ररूप एफए में प्रशासक (आईएफएससीए) को किया
		जाएगा, और ऐसी इकाई के लिए प्ररूप एफ लागू नहीं होगा।
2.	नया प्ररूप 'एफए'	फॉर्म एफ के बाद, निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

" प्ररूप एफए समेकित आवेदन पत्र

(नियम 17 के उप-नियम (1) का परंतुक देखें)

- 1. विशेष आर्थिक जोन में इकाइयों की स्थापना;
- 2. आयातक निर्यातक कोड संख्या का आवंटन;
- 3. विशेष आर्थिक जोन में भूमि/औद्योगिक शेड/कार्यालय स्थान का आवंटन;
- 4. रजिस्ट्रीकरण -सह-सदस्यता प्रमाणपत्र;
- 5. जीएसटी/बिक्री कर रजिस्ट्रीकरण;
- 6. राज्य सरकार से अपेक्षित कोई अन्य अनुमोदन।

आवेदन नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार कांडला विशेष आर्थिक जोन के वेतन और लेखा अधिकारी को पांच हजार रुपये की राशि के भुगतान के सुसंगत विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, साथ ही प्रस्तावित कार्यकलापों का विवरण देते हुए एक परियोजना रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

बैंक का नाम: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खाता संख्या: 3561135529

आईएफएससी कोड: सी बी आई एन 0282169

एमआईसीआर कोड: 110016060

शाखा कोड: 282169

शाखा स्थान: उद्योग भवन, नई दिल्ली

राशि रु.		
लेन-देन/संदर्भ सं.		
लेन-देन की तारीख		
भुगतान का माध्यम		
(एन ई एफ टी/आर टी	जी एस/यू पी आई,	, इत्यादि)
		केवल कार्यालयी उपयोग हेतु
आवेदन सं		
तारीख:		

4	THE GAZETTE OF INDIA: EXT	RAORDINARY	[PART II—SEC. 3(ii)]
I. आवेदक फर्म/कंपनी का नाम	। और पूरा पता		
(बड़े अक्षरों में)			
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय (लिम् अन्य के लिए प्रधान कार्याल	नेटेड कंपनी के मामले में और य)		
पिन कोड			
दूरभाष सं.			
स्थायी ई-मेल पता			
वेब-साइट, यदि कोई हो			
पासपोर्ट संख्या, यदि कोई ह	हो		
बैंक का नाम, पता और खात	ता संख्या		
डिजिटल हस्ताक्षर			
आयकर पैन (प्रतिलिपि संल	नग्न करें)		
II. आवेदक फर्म की प्रकृति उचित प्रविष्टि पर (√) निशान		प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सीमित देयता भागीदारी साझेदारी शाखा स्वामित्व न्यास अन्य, (कृपया निर्दिष्ट करें)	
(कंपनियों के मामले में संगम- के मामले में एलएलपी विलेख	अनुच्छेद और संगम ज्ञापन तथा साझेदारी फ और अन्य समतुल्य निगमन दस्तावेजों के सा	र्मों के मामले में साझेदारी विलेख, थ निगमन प्रमाणपत्र की प्रति संलग्	सीमित देयता भागीदारी ग्र करें)
III. आईएफएससीए विनि	यमों के अनुसार प्रस्तावित व्यवसाय क्षेत्र		
(जैसे बैंकिंग, कोष प्रव	बंधन, बीमा आदि)		
IV. प्रत्येक निदेशक/भागी पता, टेलीफोन सं. के	दार/स्वामित्वधारी, जैसा भी मामला हो, साथ	का नाम और प	रूरा
V. निवेश: (रुपए लाख मे	में)		
(क) कार्यालय उपस्कर जैसे व	कंप्यूटर, सर्वर, कार्यालय फर्नीचर।		
(i) स्वदेशी			
(ii) आयात सीआ	ईएफ मूल्य		
(iii) कुल (i) + (i	ii)		
(ख) वित्त के स्रोत का ि	वेवरण		

VI.	अवसरचना की आवश्य	कताएँ				
भू	मे/कार्यालय स्थान की अ	ावश्यकता:	(क्षेत्रफल	वर्ग मीटर में)		
VII.	रोजगार					
	पुरुष					
	महिला					
	ट्रांसजेंडर					
VIII.	आईएफएससी इकाई	की शेयरधारिता				
	(क) इक्विटी पूंजी स	ाहित विदेशी निवेश : (\$	हजार में)	(रु. लाख में)		
	(i) प्राधिकृत					
	(ii) अभिदत्त					
	(iii) प्रदत्त पूंजी	·				
टिप्पण:	: यदि यह एक मौजूदा कं	पनी है, तो मौजूदा और	प्रस्तावित पूंजी स	ांरचना का विवरण दें		
	(ख) शेयरधारिता स	वरूप:	(\$ हजार में)	(रु. लाख में)		
	(i) विदेशी धृति	ते				
	(ii) भारतीय धृ	ाृति				
	(iii) आईएफए	ससी धृति				
	कुल इक्विट	ग्रे				
IX. अन	य सूचना					
गया है।	वेदक को ईओयू/एसईजेः । यदि हां, तो संदर्भ संख्य का पूरा विवरण दें।	•			•	
क्या आ	वेदक या किसी साझेदार		य कंपनी या फर्मो		——— भी हों. के विरूद्ध का	र्रवाई की जा रही
	उन्हें विदेश व्यापार (विव				~	~
अधिनि	यम, 1962 अथवा केंर्द्र किया गया है।			· ·		-
स्थान	:	आवेदक के हस्ताक्षर:				
तारीख:	:	बड़े अक्षरों में नाम:				
		पदनाम :				
शासकी	य मोहर/स्टांप	दूरभाष संख्या:				
		ईमेल:				
		वेब-साइट, यदि कोई	हो			
		पूर्ण आवासीय पता				

वचनबंध

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि उपरोक्त कथन मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। मैं/हम विकास आयुक्त द्वारा निर्धारित अन्य सभी शर्तों का पालन करेंगे।

मैं/हम पूर्णत: यह समझते हैं कि कोई भी सूचना या तथ्य गलत या असत्य पाये जाने पर दी गयी सूचना के आधार पर मुझे/हमें दिया गया कोई भी अनुमति पत्र/अनुमोदन रद्द किया जा सकता है या मामले की परिस्थितियों के संबंध में की जाने वाली कोई अन्य कार्रवाई की जा सकती है।

उपर्युक्त सूचना के समर्थन में वि	धिवत शपथ पत्र संलग्न है।		
स्थान :	आवेदक के हस्ताक्षर:		
तारीख:	बड़े अक्षरों में नाम:		
	पदनाम:	·	
शासकीय मोहर/स्टांप	दूरभाष संख्या:	·	
	ईमेल:		
	वेब-साइट, यदि कोई हो		
	पूर्ण आवासीय पता	".	
			[फा. सं. 3/4/2022-ईएम
			सुरभि जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2024

S.O. 940(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 31 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019), the Central Government hereby directs that certain provisions of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) and the Special Economic Zones Rules, 2006, as specified in column number (2) of Table 1 and Table 2, shall apply with such modifications, as specified in column number (3) of the said Tables, to the financial products, financial services or financial institutions, as the case may be, in an International Financial Services Centre, namely:

TABLE 1
THE SPECIAL ECONOMIC ZONES ACT, 2005

Sl.No.	Section	Modifications
(1)	(2)	(3)
1.	Sub-section (6) of section 12	In section 12, after sub-section (6), the following sub-section shall be inserted namely:
		'(7) "Notwithstanding anything contained in this section, in case any Units requiring recognition, registration, license or authorisation by the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of section 4 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019), the powers and functions of the Development Commissioner under this section, except the powers conferred under sub-section (3), shall be discharged by an officer nominated by the International Financial Services Centres Authority to be designated as "Administrator (IFSCA)".'.

2.	Clause (f) of sub-section (2) of section 13	In section 13, in sub-section (2), after clause (f), the following proviso shall be inserted, namely: -
		'Provided that for a Unit requiring recognition, registration, license or authorisation by the International Financial Services Centres Authority, the Chairperson of the Approval Committee under clause (a) of subsection (2) of section 13 shall be the "Administrator (IFSCA)".'.
3	Sub-sections (1), (2) and (9) of section 15	In section 15 (a) in sub-section (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:
		'Provided further that any person intending to set up a Unit, requiring recognition, registration, license or authorisation by the International Financial Services Centres Authority, shall submit a proposal to the "Administrator (IFSCA)".'
		(b) in sub-section (2), the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that any such proposal received under second proviso to sub- section (1), shall also be sent to the Approval Committee for its approval.";
		(c) in sub-section (9), the following provisos shall be inserted, namely: -
		"Provided that the Administrator (IFSCA) may, after approval of the proposal referred to in sub-section (3), grant the letter of approval to the person concerned to set up any Unit and undertake such operations, requiring recognition, registration, license or authorisation by the International Financial Services Centres Authority: Provided further that relevant information regarding such Units shall be shared by the Administrator (IFSCA) with the Development Commissioner of the SEZ on a monthly basis or as may be required from time to time".

TABLE 2
THE SPECIAL ECONOMIC ZONES RULES,2006

Sl.No	Rules	Modifications
(1)	(2)	(3)
1.	Sub-rule (1) of rule 17	In rule 17, after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely: -
		"Provided that, an application seeking permission for setting up a Unit requiring recognition, registration, license or authorisation by the International Financial Services Centres Authority shall be made to the Administrator (IFSCA) in Form FA, and Form F shall not be applicable to such Unit."
2.	New Form 'FA'	After Form F, the following Form shall be inserted, namely: -

"FORM FA CONSOLIDATED APPLICATION FORM for

(See proviso to sub-rule (1) of rule 17)

- 1. Setting up of units in Special Economic Zone;
- 2. Allotment of Importer Exporter Code Number;
- 3. Allotment of land/industrial sheds/Office Space in the Special Economic Zone;
- 4. Registration-cum-Membership Certificate;
- 5. GST/Sales Tax registration;
- 6. Any other approval as may be required from the State Government.

The application should be submitted along with relevant payment details for a sum of rupees five thousand made to the Pay and Accounts Officer of the Kandla Special Economic Zone as per the details mentioned below, together with a project report giving details of activities proposed.

Ace IFS MI Bra	count No: 3561135529 SC Code: CBIN0282169 CR Code: 110016060 anch Code: 282169 anch Location: Udhyog Bhawan,		
	nount Rs. ansaction/ Reference No.		
Tra	ansaction date		
	ode of Payment EFT/ RTGS/ UPI etc.)		
Application No.		For O	fficial Use only
Date:			
I.	Norma and full address of appli	cont figure	
1.	Name and full address of applicompany (in block letters)	cant Hrm/	
	Registered Office (in case of limited Company and Head Office for others)		
	Pin Code		
	Tel.No.		
	Permanent E-Mail Address		
	Web-Site, if any		
	Passport No., if any		
	Name of Bank with Address an		
Digital Signature			
	Income Tax PAN (attach copy)		
II.	Constitution of the applicant fit [Tick ($\sqrt{\ }$) the appropriate entry]	rm:	Public Limited Company Private Limited Company Limited Liability Partnership Partnership Branch Proprietor ship Trust Others (please specify)

(Attach Copy Of Certificate Of Incorporation along with Articles Of Association And Memorandum of Association In Case Of Companies And Partnership Deed In Case Of Partnership Firms, LLP Deed In Case of Limited Liability Partnership and other equivalent incorporation documents)

of implementation of each project.

III.	Area of Business proposed to be undertaken as per IFSCA Regulatio (Eg. Banking, Fund Management,			_		
IV.	Name and complete address of each Telephone numbers	ch of t	the Directors/Pa	rtners/Proprietor, as th	ne case may be with	
V.	INVESTMENT: (RS. IN LAKHS)					
	(a) Office Equipment such as computers, servers, office furniture.					
	(i) Indigenous					
	(ii) Import CIF value					
	(iii) Total (i) + (ii)					
	(b) Details of source(s) of finance					
VI.	INFRASTRUCTURE REQUI	REMENTS				
	Requirement of land/Office S	pace:		(Area in sq. mtrs.)		
VII.	EMPLOYMENT					
	Men					
	Woman					
	Transgenders					
VIII.	Shareholding of IFSC Unit					
	(a) Equity Capital incl. Foreign Investment: (\$ in thousand) (Rs. in lakhs)					
	(i) Authorized				-	
	(ii) Subscribed				-	
	(iii) Paid Up Capital					
Note	: If it is an existing company, give the	ne break up of exist	ing and propose	d capital structure		
	(a) Shareholding Pattern:	(\$ in thousand)	(Rs.	in lakhs)		
	(i) Foreign Holding					
	(ii) Indian Holding					
	(iii) IFSC Holding					
	Total Equity					
IX.	OTHER INFORMATION					
	ther the applicant has been issued a ve full particulars, namely reference					

Whether the applicant or any of the partner/Director who are also partners/Directors of another company or firms its associate concerns are being proceeded against or have been debarred from getting any License/Letter of Intent/ Letter

~	n Trade (Development and Regulation) or Central Excise Act, 1944.	Act, 1992 or Foreign Exchange Management Act,
	of Central Excise Net,1711.	
DI.		
Place :	Signature of the Applicant:	
Date:	Name in Block Letters:	
	Designation:	
Official Seal/Stamp	Tel. No.:	
	e-mail :	
	Web-Site, if any	
	Full Residential Address	
	UNDERTAKING	
I/We hereby declare that the I/We shall abide by		ect to the best of my/our knowledge and belief. by be stipulated by the Development Commissioner.
liable to cancellation or any		I to me/us on the basis of the statement furnished is regard to the circumstances of the case if it is found false.
An affidavit duly sworn in s	support of the above information is encl	osed.
Place :	Signature of the Applicant:	
Date:	Name in Block Letters:	
	Designation:	
Official Seal/Stamp	Tel. No. :	
	e-mail :	
	Web-Site, if any	
	Full Residential Address	······································
		[F. No. 3/4/2022-EM]
		SURBHI JAIN, Jt. Secy.